>

Title: Need to frame rules for speedy construction of dilapidated houses located near a temple declared to be an ancient monument in Hatkangle, district Kolhapur, Maharashtra.

श्री राजू शेट्टी (हातकंगले): सभापति महोदय, एनशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड ऑर्कैलौजीकल साइट्स एंड रिमेन्स (अमेंडमेंट एंड वैलीडेशन) एक्ट, 2010 लागू होने के कारण मेरे लोक सभा क्षेत्र हातकंगले जिला कोल्हापुर (महाराÂष्ट्र) की शिरोल तहसील के खिद्रापुर गांव में जहां पुरातत्व विभाग के तहत एक प्राचीन मंदिर आता है। पूरा गांव गम्भीर रूप से आंदोलित है। लोक तंत्र की पहली सीढ़ी ग्राम पंचायत के चुनाव का पूरे गांव ने बहिÂष्कार कर दिया है। इसका कारण यह है कि इस कानून की जद में पुरातत्व विभाग के मॉन्यूमेंट की परिधि के 300 मीटर के दायरे में बिना किसी समर्थ प्राधिकरण के कोई पुनर्निर्माण का कार्य नही किया जा सकता। यहां यह बताना अनिवार्य है कि यह पूरा का पूरा गांव हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है और सैकड़ों की संख्या में मकान गिर जाते हैं। इस वÂर्ष भी ऐसा ही हुआ है और इस कानून के कारण सैकड़ों परिवार खुले आसमान के नीचे अपने मवेशियों के साथ जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर हैं। प्रशासनिक देरी व लापरवाही के चलते इस कानून के तहत अभी तक न तो राज्य-स्तरीय 'सक्षम प्राधिकरण' या 'राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण' का निर्माण नहीं हो सका। यदि इन दोनों प्राधिकरणों का निर्माण हो भी जाए, तो भी यह गांव गरीब जनता की पहुंच से दूर होगा। इस कानून को अमल में लाने के लिए मेरा यह सुझाव है कि खंडित और गिरे हुए मकानों के त्वरित निर्माण हेतु एन.ओ.सी. देने के लिए कमिश्नर या जिला मजिस्ट्रेट को अधिकार देने का नियम बनाने की नितान्त आवश्यकता है, ताकि आम आदमी को इस त्रासदी से राहत मिल सके।